



प्री-जी. एस. टी. टैक्स के लिये OTS योजना

चर्चा के क्यों?

गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने प्री-जी. एस. टी. से संबंधित लंबित कर भुगतान के नपिटान हेतु वन टाइम सेटलमेंट-2023 (OTS) योजना की शुरुआत की है।

- यह योजना 1 जनवरी से 30 मार्च, 2024 तक चालू रहेगी।

मुख्य बढि:

- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमनिसिट्रेशन (HIPA), गुरुग्राम के सहयोग से एक जी. एस. टी. प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी घोषणा की।
- सरकार व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांगों का जवाब देने के लिये गुरुग्राम व हिसार में [वसतु एवं सेवा कर \(GST\) ट्रबि्यूनल](#) की शाखाएँ स्थापित करने की योजना बना रही है।
- OTS योजना के तहत, कर राशिको चार श्रेणियों में वभिाजति कथिा जाएगा, जसिकी शुरुआत बनिा वविाद वाले मामलों के लयि नरिवविाद शुल्क श्रेणी से होगी।
 - करदाता इस श्रेणी में बनिा कसिी दंड या ब्याज के 100% राशिका भुगतान करेंगे।
 - ₹50 लाख से कम के वविादति कर के मामले में करदाताओं को बकाया राशिका 30% भुगतान करना होगा और यदवविादति कर राशिके 50 लाख से अधिक है, तो उन्हें 50% का भुगतान करना होगा।
 - तृतीय श्रेणी में अवविादति करों का नरिधारण वभिाग दवारा कथिा जायेगा जहाँ कोई अपील नहीं की गयी हो। यद राशिके 50 लाख से कम है तो करदाताओं को 40% और ₹50 लाख से अधिक होने पर 60% का भुगतान करना होगा। जुमाने और ब्याज से राहत मिलेगी।
 - चौथी श्रेणी में कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशिशामलि है। यहाँ, सरकार ने राशिके छूट दी है, जसिसे करदाताओं केवल 30% भुगतान करना होगा।
- यदबिकाया राशिके ₹10 लाख से ₹25 लाख के बीच है, तो राशिका भुगतान दो कशितों में कथिा जा सकता है।
- यदबिकाया ₹25 लाख से अधिक है, तो भुगतान तीन कशितों में बाँटा जा सकता है: पहले 90 दिनों में 40%, अगले 90 दिनों में 30% और अंतमि 90 दिनों में 30%।
- OTS योजना 30 जून, 2017 तक उत्पाद शुल्क और कराधान वभिाग से संबंधित बकाया कर मुद्दों को संबोधति करती है। यह वशिष रूप से सात VAT-संबंधति अधिनियमों से संबंधति चतिाओं का समाधान करती है।